

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर

आदेश

क्रमांक बी / 642
(तीन-18-180-75)

जबलपुर, दिनांक 21/03/2024

(1) प्रशासकीय अत्यावश्यकता (Administrative Exigencies) के दृष्टिगत निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक (2) में उल्लिखित तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के अंतर जिला स्थानांतरण उसी हैसियत से, स्तम्भ क्रमांक (3) में दर्शायी गयी न्यायिक जिला स्थापना से, स्तम्भ क्रमांक (4) में दर्शायी गयी न्यायिक जिला स्थापना पर किये जाते हैं।

क्रमांक	नाम एवं पदनाम	वर्तमान न्यायिक जिला स्थापना	न्यायिक जिला स्थापना जहां स्थानांतरण किया गया
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	मोहम्मद अकबर खान स्टेनोग्राफर	बालाघाट	सिंगरौली
2.	श्री इन्द्र कुमार शेण्डे स्टेनोग्राफर ग्रेड-3	बालाघाट	रतलाम
3.	श्री योगेन्द्र सिंह देशमुख सहायक ग्रेड-3	बालाघाट	आगर-मालवा
4.	श्री सूरज प्रसाद प्रजापति रीडर ग्रेड-2	शहडोल	रतलाम
5.	श्रीमती नीलू सिंह भृत्य	शहडोल	आगर-मालवा
6.	श्री उदल सिंह टैगोर सहायक ग्रेड-3	देवास	सिंगरौली
7.	श्री धर्मेन्द्र अहिरवार आदेशिका वाहक	दमोह	आगर-मालवा
8.	श्री नरेन्द्र कुमार अहिरवार आदेशिका वाहक	दमोह	इन्दौर

(2)

9.	श्रीमती शहनाज कुरैशी भृत्य	दमोह	बुरहानपुर
10.	श्री राकेश कुमार यादव भृत्य	कुटुम्ब न्यायालय मण्डला	मंदसौर
11.	श्री आकाश जायसवाल भृत्य	जबलपुर	मंदसौर
12.	श्री दीपक साहू भृत्य	जबलपुर	आगर-मालवा
13.	श्री शालिम खान भृत्य	रतलाम	सीधी
14.	श्री मुकेश मिमरोट सहायक ग्रेड-3	मंदसौर	सिंगरौली

(2) श्री राजेश राय, भृत्य (आ.नि.वे.भो. कर्मचारी), न्यायिक जिला स्थापना डिण्डौरी एवं श्री अजीत कुमार धुर्वे, नवगठित सेवा के सदस्य (ए.सी. अटेण्डेंट), उच्च न्यायालय मुख्यपीठ जबलपुर द्वारा प्रस्तुत पारस्परिक अंतर जिला स्थानांतरण आवेदन पत्र विचारोपरांत **निरस्त** किया गया है।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के
आदेशानुसार



(संतोष प्रसाद शुक्ला)
रजिस्ट्रार (जिला स्थापना)

पृ. क्रमांक बी / 643
(तीन-18-180-75)
प्रतिलिपि:-

जबलपुर, दिनांक 21 / 03 / 2024

1.


- (i) प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बालाघाट, सिंगरौली, रतलाम, आगर-मालवा, शहडोल, देवास, दमोह, इन्दौर, बुरहानपुर, मंदसौर, जबलपुर, एवं सीधी,

(3)

(ii) प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, मण्डला

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। आपकी स्थापना से स्थानांतरित कर्मचारियों को उक्त आदेश की प्रति प्रदान कर स्थापना से इस प्रकार भारमुक्त कर निर्देशित करें कि संबंधित कर्मचारी नवीन पदस्थापना के स्थान पर **दिनांक 06/04/2024 (शनिवार)** तक कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कर्मचारी को भारमुक्त किये जाने/कर्मचारी द्वारा कार्यभार ग्रहण किये जाने पर, रजिस्ट्री को सूचना भिजवाया जाना आवश्यक नहीं है। **निर्धारित तिथि तक, कर्मचारी के भारमुक्त नहीं होने/भारमुक्त नहीं किये जाने/कर्मचारी द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किये जाने की दशा में, प्रतिवेदन रजिस्ट्री को तत्काल प्रेषित किया जावे।**

2. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डिण्डौरी की ओर प्रेषित कर लेख है कि कंडिका क्रमांक (2) में उल्लिखित कर्मचारी को उनके स्थानांतरण संबंधी अभ्यावेदन **निरस्त** होने की सूचना देने का कष्ट करें।
3. एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, (डी.ई.) जिला स्थापना अनुभाग, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।


(संतोष प्रसाद शुक्ला)
रजिस्ट्रार (जिला स्थापना)